

अंचल न्यायालय अन्तर्गत उधवा।

नापी वाद सं०- 03 / 2020-21

आवेदक प्रथम पक्ष:- काशी मंडल, पिता- राधानाथ मंडल
सा०-कटहलबाड़ी, थाना-राधानगर, जिला-साहेबगंज।

—:बनाम:-

द्वितीय पक्ष:-
1 उ०-सड़क,
2. द०-खलीया मंडल
3. पू०- कुलेश मंडल, सखीचंद मंडल,
4. प०- R.E.O सड़क।

सा०- कटहलबाड़ी, थाना-राधानगर, जिला-साहेबगंज।

बजरिये नोटिस से आपको सूचित किया गया है कि मौजा-कटहलबाड़ी, के ज०न०-105, दाग न०-94, रकवा-00-17-18.5 धूर जमीन के मापी हेतु आवेदन पत्र श्री काशी मंडल, पिता-राधानाथ मंडल से प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त जमीन का मापी के संबंध में पूर्व में भी नोटिस के द्वारा सूचना दिया गया था। लेकिन दोनों पक्ष उक्त मापी के समय उपस्थित नहीं हुए। अंचल अमीन के द्वारा 21.12.2020 को नापी प्रतिवेदन रिपोर्ट किया गया। जिसके तहत आम सहमति नहीं बन पाने व चौहदीकारों को जानकारी नहीं रहने के कारण जमीन की मापी नहीं हो सकी। पुनः अंचल न्यायालय के द्वारा उक्त लंबित नापी वाद के लिए 26.07.2024 को सौलह आना रैयत, अमीन तथा द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति हो तो साक्ष्य के साथ दिनांक-02.08.2024 को अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि मापी के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। आवेदक प्रथम पक्ष काशी मंडल, पिता- राधानाथ मंडल, सा०-कटहलबाड़ी बनाम द्वितीय पक्ष द०-खलीया मंडल, पू०-कुलेश मंडल, सखीचंद मंडल सा०-कटहलबाड़ी, थाना-राधानगर, जिला-साहेबगंज द्वारा दोनों पक्ष को दिनांक-02.08.2024 को अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष नहीं रखने के कारण उक्त के आलोक में आवेदक का लंबित नापी वाद सं०-03/2020-21 को निरस्त किया जाता है।


अंचल अधिकारी,
उधवा।